उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या-22/2019/1230/80-1-2019-रिट 22/2018
लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

चूँकि जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ राज्य सरकार, धारा 17-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद या उत्पादों पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अनधिक पांच वर्षों के लिए उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, छूट प्रदान करती हैं;

और चूँकि उक्त उपबंध के अधीन कतिपय कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को पूर्वोक्त खण्ड के अधीन कतिपय शर्तों एवं निर्बन्धनों के साथ छूट प्रदान की गयी थी। मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की छूट के लिये दी गयी शर्त में बैंक प्रत्याभूति का उपबंध किया जाना और इस बात की पुष्टि किया जाना कि 95 प्रतिशत प्रसंस्कृत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का निर्यात किया गया है, सम्मिलित नहीं है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 (क) की उपधरा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्पाल निदेश देती हैं कि यथा पूर्वोक्त शर्तें उक्त खण्ड के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं में सम्मिलित की जायेंगी।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि ऐसी इकाइयॉ, जिन्हें उक्त छूट प्रदान की गयी हो और पॉच वर्ष की अवधि पूर्ण न हुई हो, के लिए उक्त शर्त सम्मिलित की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-**22/2019/1230(1) /80-1-2019,** तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।